

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 29/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

सुरेश पुत्र श्री मूलचंद जाति कोली निवासी विरहरू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 27.2.2018 प्रकरण संख्या 56/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम सुरेश

उपरिस्थित :

1. श्री गंगाराम शर्मा वकील अपीलान्त।
2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक – 22.2.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 27.2.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 1288/2133/2.36 है0 वाकै ग्राम विरहरू किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 है0 पर सरसों बो कर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्त को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 2.25 की पचास गुना राशि 113 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि खसरा नम्बर 1288/2133/2.36 है0 में से 0.25 हैक्टेयर पर अपीलान्त का अतिक्रमण माना है जो कतई गलत है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा तहत अदालत द्वारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही अपीलान्त के विरुद्ध गलत तथ्यों पर की गई है एकतरफा में आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्त पर नोटिस की तामील ही नहीं हुई है। न ही कभी अपीलान्त ने पूर्व में कोई अतिक्रमण किया है फिर भी अपीलान्त को तहत अदालत ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि न तो कोई ऐसा साक्ष्य है न ही ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलान्त ने पूर्व में कोई कब्जा किया था और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर उसे बेदखल किया गया था। जब बेदखल ही नहीं किया गया तो पश्चातवर्ती अतिक्रमी कैसे माना जा सकता है ? पटवारी ने

रंजिशवश अपीलान्त की बेबुनियाद तथ्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तहत अदालत द्वारा न तो पैमायश की गई न मौका निरीक्षण किया गया न ही अपीलान्त को जबाब एवं सुनवाई का अवसर दिया गया एकतरफा में अपीलान्त की वैक पर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। न तो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की तारीख अंकित की है न ही बेदखली की तारीख अंकित है न ही इस संबध में कोई रिकार्ड तहत पत्रावली में उपलब्ध है। तहत अदालत द्वारा तथ्यों एवं रिकार्ड के विपरीत अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। पूर्व में भी कभी भी अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया था और ना ही अब किया है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके फिर भी तहत अदालत ने मनमाने ढंग से मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 90 दिवस के कारावास से दण्डित कर दिया है जो अपीलान्त के साथ अन्याय है। वकील अपीलान्त का यह भी कथन है कि यदि पैमायश हो जाये तो अपीलान्त निर्धारित सीमा से अधिक काश्त नहीं करेगा और तथाकथित अतिक्रमण को हटाने को तैयार है। अपीलान्त द्वारा इस संबध में इस आशय का शपथपत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत कर रहा है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्तस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 1288/2133/2.36 है0 वाकै ग्राम विरहरू किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 है0 पर फसल सरसों बो कर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पटवारी हल्का विरहरू द्वारा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्त पर हुई है। अपीलान्त द्वारा न तो जबाब प्रस्तुत किया न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किया गया। गत सम्वत में भी अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर विधिवत कार्यवाही की जाकर अपीलान्त को वेदखल किया गया था। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबध में पटवारी श्री राजेश प्रसाद के बयान भी दर्ज कराये गये है। यह अतिक्रमण उसके द्वारा पुनः किया गया है। अर्थात अपीलान्त बखूबी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है पटवारी के बयान एवं पटवारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट प्रमाणित है। उक्त राजकीय भूमि पर पुनः अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। इसलिए अपीलान्त को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्तस बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों/ मौका रिपोर्ट तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2014-15 पेज 680 एवं आरआरटी 2013(1) पेज 516 पेश की गई जिनका ससम्मान अवलोकन किया जाकर शामिल फायल किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 1288/2133/2.36 है0 वाकै ग्राम विरहरू किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 है0 पर फसल सरसौ बो कर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पूर्व में गत सम्बत में किया गया अतिक्रमण पटवारी हल्का के बयानों से साबित होता है। वे चाहते तो अपने बचाव में यथोचित साक्ष्य एवं सबूत पेश कर सकते थे न तो उनके द्वारा तहत अदालत में अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश किये और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया जिससे अपीलाधीन आदेश को बेबुनियाद या तथ्यों के प्रतिकूल माना जा सके। उनके द्वारा मात्र एक शपथ पत्र पेश किया है जिसमें पैमायश का जिक्र करते हुये बाद पैमायश अतिक्रमण छोड़ने एवं कभी कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत अंकित किया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित आज्ञा न्यायोचित रहती है। अपीलान्ट द्वारा बार-बार उक्त सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लंघन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिकत्रुटी नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.2.2018 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नहीं होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को सुनाया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
भरतपुर**